शिलांग, 17 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 416.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ग' सहायक पद) भर्ती नियम, 1995 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग (वर्ग 'ग' और 'घ') भर्ती नियम 1983, जहां तक वे उच्च श्रेणी लिपिक के पद, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय शिलांग (वर्ग 'ग' और 'घ') पद भर्ती नियम, 1995 के पदों से संबंधित हैं, जहां तक वे अवर श्रेणी लिपिक और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, कनिष्ठ अनुवादक तथा अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टंकक) भर्ती नियम, 1990 से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ अनुवादक, अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टंकक) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता :** जिसने—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरूष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1	2	3	4	5	6	7
5. अवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी टाइपिस्ट)	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं	लागू नहीं	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय। **नोट 1 :** आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी। (परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी सब-डिविजन के लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि इससे अलग होगी) **नोट 2 :** यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो उम्मीदवारों की आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह तिथि होगी जब रोजगार कार्यालयों को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

8	9	10
अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) अंग्रेजी टंकण में प्रति मिनट न्यूनतम गति 25 (पच्चीस) शब्द	कालम 12 में उल्लिखित के अनुसार शैक्षिक अर्हताएं	दो वर्ष।

11	12
प्रोन्निति द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति : पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय के उन वर्ग 'घ' कर्मचारियों में से जो कॉलम 8 में निर्धारित योग्यता रखते हों तथा जिन्होंने ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।

13	14
वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे : 1. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —अध्यक्ष 2. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्टाफ/लेखाकार), पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग —सदस्य 3. निदेशक या सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, शिलांग —सदस्य	लागू नहीं

[फाइल सं० एनईसी/एडीएम/11/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 17th November, 2005

G. S. R. 416 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat (Group 'C' posts of Assistant) Recruitment Rule, 1995, North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Junior Translator and Lower Division Clerk (Hindi Typist) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Junior Translator and Lower Division Clerk (Hindi Typist) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

3477 GI-4

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
5. Lower Division Clerk (Hindi Typist).	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Not applicable	Not applicable	Between 18—25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1 :** The crucial date for determining the age shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division

7
of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District of Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential : (i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Hindi Typing Speed 25 (twenty five) words per minute.	Educational qualifications as indicated in Column 12	Two Years

11	12
By Promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** From amongst Group 'D' employees of North Eastern Council Secretariat, who possess the qualification prescribed in column 8 and have rendered five years' regular service in the grade.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Assistant Post Master General (Staff or Accounts), PMG's Office, Shillong —Member 3. Director or Assistant Director, Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Shillong —Member	Not applicable.

[F. No. NEC/ADM/11/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.